भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *96

जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

वित्तीय समावेशन योजनाओं का सुदृढ़ीकरण

*96. डॉ. भोला सिंह:
श्री नव चरण माझी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम जन धन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं की समग्र पहुंच कितनी है और इनके कितने लाभार्थी हैं;

(ख) देश में महिलाओं, ग्रामीण आबादी, हाशिए पर रहने वाले समूहों और अल्प-सेवित समुदायों तक इन योजनाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या निजी बैंकों को वित्तीय समावेशन पहल के विस्तार में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(घ) क्या वित्तीय समावेशन संबंधी प्रयासों के प्रभाव और उनकी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भविष्य में कोई सुधार या डिजिटल नवाचार किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो सरकार द्वारा महाराष्ट्र, सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं के प्रति जागरुकता और इनमें भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) राज्य प्राधिकारी देश के विभिन्न राज्यों में कम नामांकन, जागरुकता और कार्यान्वयन में कमी जैसी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करते हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"वित्तीय समावेशन योजनाओं का सुदृढ़ीकरण" के संबंध में डॉ. भोला सिंह और श्री नव चरण माझी द्वारा पूछे गए दिनांक 10.2.2025 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *96 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): सरकार ने बैंकिंग सुविधा रहित लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने, असुरक्षित लोगों को सुरक्षित बनाने, गैर-वित्तपोषित को वित्तपोषित करने तथा महिलाओं पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए असेवित एवं अल्पसेवित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक बैंक रहित परिवार को सर्वसुलभ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) अर्थात प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत की थी। सरकार की वित्तीय समावेशन पहलों को और गति देने के लिए, पीएमजेडीवाई योजना को दिनांक 14.8.2018 से आगे बढ़ा दिया गया था और "प्रत्येक परिवार" के स्थान पर "बैंकिंग सुविधा से रहित प्रत्येक वयस्क" पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। दिनांक 15.1.2025 तक कुल 54.58 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं, जिनमें से 30.37 करोड़ (55.7%) खाते महिलाओं के हैं। एनएमएफआई ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और क्रेडिट संबंधी योजनाओं के साथ महिलाओं को शामिल करने की सुविधा भी प्रदान की है, जिसका ब्यौरा **अनुबंध-I** और **II** में दिया गया है।

देश में महिलाओं, ग्रामीण आबादी, सीमांत समूहों और वंचित समुदायों तक इन योजनाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे:-

1) प्रत्येक योजना के अंतर्गत सभी बैंकों को लक्ष्यों का आबंटन;
2) जागरूकता के प्रसार के लिए विभिन्न शिविरों और विशेषीकृत अभियानों का आयोजन;
3) बैंकों के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा आदि;

इन योजनाओं की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने और सभी हितधारकों के लिए इन्हें सुलभ बनाने के लिए निजी बैंकों सहित सभी बैंक इन कार्यकलापों में सहभागिता करते हैं।

सरकार देश में कम नामांकन, जागरूकता की कमी और वित्तीय समावेशन योजनाओं में क्रियान्वयन में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए नियमित रूप से कई उपाय कर रही है, जो निम्नानुसार हैं:-

i. अंतिम छोर तक के लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कई विशेष अभियान जैसे कि जन सुरक्षा त्रि-मासिक अभियान शुरू किए गए हैं। इन अभियानों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तियों का नामांकन करना है।

ii. राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) बैंकों, सरकारी एजेंसियों, अग्रणी जिला प्रबंधकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय के प्रयास करके राज्य स्तर पर इन योजनाओं के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

iii. वित्तीय साक्षरता के लिए सामुदायिक नेतृत्व वाले नवोन्मेषी और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में वित्तीय साक्षरता के संबंध में वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) प्रायोगिक परियोजना आरंभ की गई थी।

iv. लगभग 13 लाख बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी), जो बैंकिंग सेवा प्रदाता प्रणाली में अंतिम छोर को जोड़ने का प्रतिनिधित्व करते हैं, का मज़बूत नेटवर्क भी वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का नामांकन कर रहा है।

v. डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए बैंकों द्वारा (दिसम्बर 2024 तक) 107 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य देश के हर कोने तक डिजिटल बैंकिंग का लाभ सुनिश्चित करना है। ये इकाइयां बचत बैंक खाते खोलने, पास-बुक प्रिंटिंग, निधियों के अंतरण, ऋण आवेदन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं।

vi. इसके अलावा, उपयोगकर्ता को उनकी सुविधानुसार त्वरित और बाधारहित ऋण प्रदान करने के लिए जन समर्थ पोर्टल, 59 मिनट्स में पीएसबी लोन, स्टैंड-अप मित्र आदि जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्म स्थापित किए गए हैं।

*****

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 96 जिसका उत्तर 10.2.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में अनुबंध-I									
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या (15.1.2025 की स्थिति के अनुसार)		पीएमजेजेबीवाई संचयी नामांकन (15.1.2025 की स्थिति के अनुसार)		पीएमएसबीवाई संचयी नामांकन (15.1.2025 की स्थिति के अनुसार)		एपीवाई नामांकन (31.12.2024 की स्थिति के अनुसार)	
		कुल	महिलाएं	कुल	महिलाएं	कुल	महिलाएं	कुल	महिलाएं
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	61,638	30,900	83,493	37,579	166,895	65,734	12,703	5,297
2	आंध्र प्रदेश	15,454,258	8,835,054	31,995,855	6,613,795	53,629,751	14,276,062	3,636,741	2,241,475
3	अरुणाचल प्रदेश	459,538	249,167	243,449	119,847	437,097	220,326	33,098	15,965
4	असम	24,681,246	14,388,447	4,841,230	2,850,886	12,746,050	7,018,645	1,757,041	1,004,490
5	बिहार	62,076,485	34,765,289	16,780,279	9,002,230	33,373,299	18,738,189	6,459,026	3,616,591
6	चंडीगढ़	334,828	155,048	143,064	55,360	416,498	168,262	70,370	25,881
7	छत्तीसगढ	18,189,320	10,201,169	7,632,615	3,665,599	16,001,762	7,587,305	1,337,637	660,427
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	238,752	87,393	144,220	43,393	268,165	75,154	39,131	6,478
9	दिल्ली	6,635,232	3,223,146	2,326,524	1,040,562	6,061,037	2,649,275	880,979	334,765
10	गोवा	213,891	94,425	336,051	152,037	696,213	303,688	100,861	39,732
11	गुजरात	19,092,385	9,779,175	8,949,524	3,619,035	18,944,547	7,528,094	2,608,742	800,496
12	हरियाणा	10,419,159	5,207,587	4,542,266	1,968,259	10,740,238	4,619,142	1,594,563	588,309
13	हिमाचल प्रदेश	1,971,139	1,026,658	1,160,393	500,186	2,952,236	1,276,168	539,483	209,185
14	जम्मू और कश्मीर	2,395,601	1,386,337	988,935	307,421	2,114,282	777,805	217,160	68,569
15	झारखंड	19,402,382	11,009,083	7,358,212	3,943,576	13,860,723	7,449,810	2,119,447	1,166,476
16	कर्नाटक	20,124,521	11,378,590	14,411,537	5,514,604	22,255,830	11,030,025	4,137,526	1,908,038
17	केरल	6,690,410	3,875,394	3,899,124	1,394,114	10,568,600	5,416,524	1,379,468	742,935
18	लद्दाख	19,377	9,335	32,421	10,153	63,332	22,756	6,171	2,228
19	लक्षद्वीप	10,317	5,204	5,799	2,297	28,787	7,278	2,628	954
20	मध्य प्रदेश	44,710,410	24,752,263	13,859,100	7,335,301	34,141,004	16,637,099	4,253,489	2,008,342
21	महाराष्ट्र	36,294,203	20,737,022	16,101,438	7,921,731	36,002,821	16,766,599	6,883,717	3,106,915
22	मणिपुर	1,114,536	640,039	359,156	155,189	577,339	332,249	63,967	33,412
23	मेघालय	825,343	479,904	505,663	307,630	913,885	525,229	68,914	36,032
24	मिजोरम	405,827	213,702	343,701	179,491	523,297	266,367	25,451	13,645
25	नागालैंड	404,904	223,638	205,788	105,686	472,637	248,522	36,786	17,878

26	ओडिशा	22,687,187	12,887,785	10,222,632	5,201,022	22,019,198	11,189,820	2,675,729	1,423,547
27	पुदुचेरी	240,142	135,676	222,461	113,753	531,186	253,161	95,130	53,840
28	पंजाब	9,434,873	5,055,796	4,332,397	1,945,951	12,353,326	5,509,209	2,066,987	821,486
29	राजस्थान	36,524,908	20,977,020	13,098,970	5,769,730	25,948,761	12,616,930	3,828,952	1,403,623
30	सिक्किम	94,376	49,842	139,929	67,591	266,109	123,687	40,537	18,865
31	तमिलनाडु	16,768,821	9,786,096	9,624,414	5,558,747	24,095,083	13,475,962	4,738,266	2,702,880
32	तेलंगाना	12,329,622	7,200,559	7,964,061	4,298,518	17,102,539	8,567,182	2,323,900	1,218,379
33	त्रिपुरा	1,103,232	620,920	518,649	254,074	1,315,344	591,101	259,719	138,321
34	उत्तर प्रदेश	97,217,065	51,774,271	27,792,727	12,125,747	72,083,777	32,018,519	11,892,317	4,541,124
35	उत्तराखंड	3,803,403	1,975,944	1,587,930	732,564	4,873,600	2,178,626	792,093	299,956
36	पश्चिम बंगाल	53,351,475	30,492,774	12,466,751	7,182,261	32,680,037	17,906,942	5,598,811	3,138,825
कुल		**545,780,806**	**303,710,652**	**225,220,758**	**100,095,919**	**491,225,285**	**228,437,446**	**72,577,540**	**34,415,361**
स्रोत: बैंक				***स्रोत: बैंक और बीमा कंपनी***				***स्रोत: पीएफआरडीए***	

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 96 जिसका उत्तर 10.2.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में अनुबंध-II									
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत पीएमएमवाई ऋण खातों की संचयी संख्या (24.1.2025 की स्थिति के अनुसार)		स्वीकृत एसयूपीआई ऋण खातों की संचयी संख्या (27.1.2025 की स्थिति के अनुसार)		स्वीकृत पीएम स्वनिधि ऋण खातों की संचयी संख्या (31.12.2024 की स्थिति के अनुसार)		स्वीकृत पीएम विश्वकर्मा ऋण खातों की संचयी संख्या (30.1.2025 की स्थिति के अनुसार)	
		कुल	महिलाएं	कुल	महिलाएं	कुल	महिलाएं	कुल	महिलाएं
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	53,620	9,739	380	336	1,041	451	3	2
2	आंध्र प्रदेश	10,056,380	3,973,443	14,789	12,325	534,000	400,413	25,481	15,998
3	अरुणाचल प्रदेश	135,705	37,003	904	295	7,805	5,771	16	10
4	असम	11,337,821	6,257,750	3,515	2,631	181,347	90,741	9,039	2,765
5	बिहार	58,634,796	41,417,864	8,989	8,188	172,593	63,808	8,276	1,705
6	चंडीगढ़	194,515	53,555	674	555	8,747	1,441	13	7
7	छत्तीसगढ	9,829,120	6,425,318	5,141	4,117	135,342	65,571	5,226	1,330
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	40,837	20,039	169	129	3,362	1,085	40	21
9	दिल्ली	3,488,717	2,090,220	6,515	5,389	252,463	88,440	19	9
10	गोवा	378,435	175,021	903	771	2,791	1,353	446	375
11	गुजरात	15,460,637	9,246,202	18,270	15,253	712,103	302,413	33,513	10,027
12	हरियाणा	9,394,465	5,640,710	8,044	6,890	216,995	63,288	3,962	774
13	हिमाचल प्रदेश	1,111,999	339,622	3,310	2,454	10,174	2,324	949	61
14	जम्मू और कश्मीर	2,072,922	471,213	1,670	1,342	28,802	1,208	11,603	2,615
15	झारखंड	15,146,407	11,390,418	4,293	3,799	111,921	53,205	2,795	351
16	कर्नाटक	49,448,747	34,331,407	16,160	13,605	583,147	316,471	78,449	47,476
17	केरल	16,834,944	11,572,907	9,696	9,333	155,429	98,242	2,025	560
18	लद्दाख	61,260	16,645	629	78	827	526	307	194
19	लक्षद्वीप	11,917	2,794	3	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	30,731,488	21,387,098	12,869	9,630	1,390,790	532,859	20,210	2,638
21	महाराष्ट्र	41,342,930	32,753,948	23,813	19,619	1,164,531	516,163	26,022	6,763
22	मणिपुर	458,604	180,726	477	316	14,022	13,187	535	295
23	मेघालय	288,853	144,135	645	304	5,242	4,006	-	-

24	मिजोरम	161,757	93,803	658	243	3,551	3,131	9	-
25	नागालैंड	152,076	86,548	930	381	4,728	4,088	107	48
26	ओडिशा	33,340,585	26,413,845	7,767	6,722	103,437	22,153	6,064	884
27	पुदुचेरी	1,210,839	869,438	529	489	5,232	2,694	17	1
28	पंजाब	9,588,282	5,076,716	8,982	7,262	225,534	81,409	596	181
29	राजस्थान	22,101,449	13,681,618	14,312	11,533	262,862	87,899	36,425	3,443
30	सिक्किम	165,733	65,584	645	327	1,502	1,094	35	19
31	तमिलनाडु	57,928,924	39,527,950	25,381	22,391	574,448	389,312	-	-
32	तेलंगाना	7,596,552	4,191,931	13,526	10,986	729,084	477,240	16,133	4,306
33	त्रिपुरा	3,137,904	1,963,627	610	414	8,237	1,390	2,904	422
34	उत्तर प्रदेश	50,846,706	30,624,558	26,978	23,313	2,016,007	643,959	6,219	1,043
35	उत्तराखंड	3,252,495	2,028,941	3,672	3,082	43,775	9,845	502	235
36	पश्चिम बंगाल	50,715,876	37,101,544	13,949	11,080	243,182	115,308	-	-
कुल		**516,714,297**	**349,663,880**	**259,797**	**215,582**	**9,915,053**	**4,462,488**	**297,940**	**104,558**
स्रोत: पीएमएमवाई पोर्टल				***स्रोत: सिडबी***		***स्रोत: एमओएचयूए***		***स्रोत: पीएम विश्वकर्मा पोर्टल***	